

2/5/18

पञ्जाब की कोर्ट के मध्य पुरानी पुरा में पेश हुई  
 पञ्जाब की का अवलोकन राजस्व लोक अदालत  
 की भावना को मध्य नगर कि जा गया  
 वकील पक्षकारण उपर वकील  
 पक्ष कारण की लक्ष्य लुनी गई।  
 पञ्जाब की का अवलोकन किया गया एवं  
 लक्ष्य पर मतन किया गया। "जाय"  
 डाय प्रस्तुत जायना पक्ष 212 RJA जाय।  
 वही डाय प्रस्तुत वाद के चलने तक  
 जाय लक्ष्य के आदेश दिनांक 21/3/18 को  
 कम्पनी किया जाता है कि उपपक्ष को  
 पालन किया जाता है कि विचारित आराजी  
 भरी का बेचान गत नहीं करे। राजस्व  
 रिकार्ड की यथावधि बनाये रखें व  
 एक दूसरे के कर्तव्य का पालन में मजादत  
 मंजी करे। पञ्जाब की फैसल सुमा है।  
 इन जायल के बाद है।

MD 2018/007 को. अ. पुरानी पुरा  
 सहायक कलक्टर  
 साँभर लोक